बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-१, कार्यवाही प्रश्नोत्तर।)

सोमवार, तिथि १६ मार्च, १९८१ ई०।

विषय-सूची।

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ (ii) के परन्तुक के अधीन सभा मेजपर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—१	१–३
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—१०३, १०४, १०५, १०८, १०९, ११० एवं १११	३–३६
परिशिष्ट (१) (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ..	३७–४८
परिशिष्ट (२) (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ..	४९–२७२
दैनिक निबन्ध ..	२७३

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके भाषणों के संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं।

परन्तु वार्ड संख्या-२१, २२, २३, २४ एवं २५ में अभी तक इस अभियान के अन्तर्गत कार्ड चेकिंग नहीं हुआ है और पुराना कार्ड में ही चल रहा है, यदि हां तो इसका क्या औचित्य है;

(२) क्या यह बात सही है कि यह अभियान नियमित रूप से न चलकर वार्ड संख्या--२७, २८, २९, ३० से सम्पन्न हो गया और २१ से २५ तक अभी बाकी है;

(३) क्या यह सही है कि कार्ड चेकिंग के लिये पदाधिकारीगण ऐसे समय में आते हैं जबकि घर के पुरुष कार्यालय अथवा अपने काम के संबंध में बाहर रहते हैं और पदाधिकारीगण जैसे-जैसे स्वयं विवरण प्रस्तुत कर देते हैं जिससे उपभोक्ताओं की कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार शीघ्र शेष क्षेत्रों में घर के पुरुष सदस्यों की मौजूदगी में कार्ड चेकिंग करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

प्रभारी, मंत्री, खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना--(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। १९७७ से राशन कार्ड चेकिंग का कोई काम वार्ड नं०-२१, २२, २३, २४, २७, २८ एवं २९ में प्रारम्भ नहीं किया गया था। अतः यह बात सही है कि इन वार्डों में पुराने कार्ड ही चल रहे हैं।

उक्त वार्डों में भी चेकिंग कर नये राशन कार्ड लागू करने का निदेश दिया जा रहा है।

(२) वर्त्तमान वर्ष में केवल २७ वार्ड में कार्ड की चेकिंग हुई है और इस वार्ड में नये कार्ड बांट दिये गये हैं। वार्ड संख्या २८, २८ एवं ३० में कार्ड का कोई चेकिंग अभी प्रारम्भ नहीं की गयी है।

(३) उत्तर नकारात्मक है।

(४) अभी तक वृहत रुप से कार्ड चेकिंग का कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। जब भी कार्ड चेकिंग का अभियान प्रारम्भ किया जायेगा पर्याप्त हस्ताक्षर द्वारा पुरुष सदस्यों की मौजूदगी में हो यथासंभव कार्ड चेकिंग पर विचार रखा जायेगा।

पथ की मरम्मति।

सामु-६६। श्री सत्यदेव ना० आर्य--क्या, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी-चांदी-सिकरहटा सड़क की मरम्मति के लिये वित्तीय वर्ष १९७८-७९ में ४.५० लाख रुपये का आवंटन दिया गया था;

(२) क्या यह बात सही है कि आधी सड़क की मरम्मति के बाद काम बंद है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त पथ के शेष भाग की मरम्मति कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, ग्रा० अ० संगठन वि०—(१) प्रश्नाधीन पत्र "बाढ़ से क्षतिग्रस्त की मरम्मति" मद में वर्ष १९७८-७९ में ३.५० लाख रुपए का आवंटन दिया गया था।

(२) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। १६ कि० मी० लम्बे पथ के १० किलोमीटर अंश में मरम्मति कार्य पूरा हो चुका है। शेष ६ कि० मी० अंश में मरम्मति कार्य शिथिल पड़ गया है।

(३) पथ के शेष ६.०० किलोमीटर अंश का मरम्मति कार्य ठीकेदार ने बन्द कर दिया है। अतः ठीका रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित की गयी तथा नये ठीकेदार को कार्यादेश दिया चुका है। सामग्री सड़क में इकट्ठा कर दिया गया है, विटुमेन के अभाव में कार्य शिथिल है। विटुमेन प्राप्त होने पर कार्य करा दिया जायेगा।

सड़क का निर्माण।

सामु ४१। श्री सरयु मिश्र—क्या मंत्री ग्रामीण विकास विभाग; यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया के मरगामा प्रखंडान्तर्गत चौथा हाट से जे० भी० सी० तक जिलाबोर्ड की १ मील लम्बी एक सड़क है जो जीर्णावस्था में है, तथा जिसमें बाघमारा घाट पर एक पुलिया की आवश्यकता है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क जे० भी० सी० पर होकर जानेवाली पक्की सड़क का एप्रोच रोड है;

(३) क्या यह बात नही है कि सरकार फूड फोर वर्क प्रोग्राम के तहत उक्त एप्रोच तथा महत्वपूर्ण सड़क का उन्नयन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?